

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मागे उर्फ मांगीलात बनाम श्रीमती सीता (वैया)

स मुकदमा ..... प्र-का 11/128 ..... नं० 08 ..... सन् 2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तानील  
मे जारी हुए

22 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29/3/22 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक क्लर्क माण्डल

29/3 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण  
के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिले शामिल  
पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट  
प्राप्त हुई जिले शामिल पत्रावली किये गया। अप्रार्थीगण  
को कितनी मर्खा आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित  
नहीं, इसके अतिरिक्त एक तरफा कार्यवाही किये जाने का  
आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र  
स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्रक से लिखा जाकर  
शामिल पत्रावली किये गया। पत्रावली फाइल नुमा  
होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

प्राथमिक अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

दमा संख्या - 08/22 प्राठपत्र

मांगू उर्फ मोगीवाल ज/श्री हजारी तेली निवासी - माण्डल पौराहा तहसील - माण्डल (राज्य)

-प्राथी

बनाम

श्रीमती सीता ज/श्री राजेंद्र कुमार तेली निवासी - माण्डल पौराहा तहसील - माण्डल (राज्य)  
(सहायक प्राठपत्र खाते)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-03-22

::आदेश::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुहा पटवार हल्का संतोक्पुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 505 कुल किता 01 रकबा 0.0632 हेक्टर बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-01-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को आवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गुहा पटवार हल्का संतोक्पुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 505 कुल किता 01 रकबा 0.0632 हेक्टर बिस्वा

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मैजा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथस्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा